क्यों `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) , प्रजा अधीन-लोकपाल (राईट टू रिकाल-लोकपाल) , नागरिकों द्वारा , जूरी सिस्टम लोकपाल में लोकपाल बिल में जोड़ने के लिए जरूरी है देश को विदेशी कंपनियों की गुलामी से (स्पीच)

भारत के भाइयों और बहनों,

नमस्ते |

आज मैं , आप को बताना चाहूँगा क्यों `जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) की धाराएं, प्रजा अधीन-लोकपाल (राईट टू रिकाल-लोकपाल) , नागरिकों द्वारा की धाराएं और लोकपाल में जूरी सिस्टम की धाराएं क्यों जरूरी है प्रस्तावित लोकपाल बिलों में जोड़े जाने के लिए, जनलोकपाल अन्ना जी द्वारा या अन्य लोकपाल बिल सरकार और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित लोकपाल बिल में | क्यों ये धाराएं कोई भी लोकपाल बिल में जोड़ने के लिए जरूरी है विदेशी कंपनियों की गुलामी या विदेशी देशों की गुलामी से बचने के लिए , इसकी हम बात करेंगे |

इस चर्चा में आपको कुछ समझ नहीं आये, तो विडियो या ऑडियो रोक कर फिर से सुनें |

सबसे पहले, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा -

`सुब्रमनियम स्वामी ने पूरी जानकारी दी है चिदंबरम और अन्य लोगों के विदेशी गुप्त बैंक खातों के बारे में | लेकिन इन लोगों को सज़ा नहीं दी जा सकी है, कोर्ट द्वारा माने जाने वाले सबूत की कमी के कारण क्योंकि ये विदेशी बैंकों की पोलिसी या नीति नहीं है कि गुप्त खातों की पूरी जानकारी दी जाये |

99% बड़े स्तर की रिश्वतों में, कोई भी कोर्ट द्वारा माना जाने वाला सबूत नहीं होता है |

क्या होगा यदि लोकपाल भी चिदंबरम और अन्य नेताओं की तरह रिश्वत ले ले और गुप्त , विदेशी बैंक के खाते में जमा कर दे , ताकि कोई भी कोर्ट द्वारा माने जाने वाला साबुत न हो ??
सरकार या `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के समर्थक लोकपाल बिल में क्या तरीका चाहते हैं, जिसके द्वारा हम आम-नागरिक लोकपाल को चिदंबरम के तरह भ्रष्ट होने से रोक सकते हैं और देश को विदेशी कंपनियों और दूसरे देशों को बेचने से रोक सकते हैं ?`

हमने देखा है कि जनलोकपाल या सरकारी लोकपाल या अन्य कोई प्रस्तावित लोकपाल बिल में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है | लेकिन मेरे द्वारा पहले बताये गए ये धाराओं को लोकपाल बिल में जोड़ने से ये समस्या का समाधान कैसे होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा |

पहले , मैं आपको पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) के बारे में बताऊंगा | **`पारदर्शी`शब्द को परिभाषित करना चाहूँगा - वो शिकायत / प्रस्ताव या सुझाव जो कोई नागरिक कभी भी ,कहीं भी ,जो किसी अन्य नागरिक द्वारा दी गयी हो ,को देख सके और जांच कर सके ताकि कोई नेता, कोई बाबू , कोई जज या मीडिया उसे दबा नहीं सके |**

क्या आज हमारे पास शिकायत करने या सुझाव देने का ऐसा सिस्टम है ? आज , यदि आपको पता चलता है कि आपके जिले का एम.पी. या सांसद सही से काम नहीं कर रहा है या भ्रष्ट है और हज़ारों या एक-दो लाख लोगों को भी ये पता है और उस एम.पी. की शिकायत करना चाहते हैं, तो **आप** और एक लाख लोगों के पास उस एम.पी. के खिलाफ शिकायत करने का क्या तरीका है ?

यदि आप एफ.आई.आर दर्ज करने जाते हैं , और आप एक आम-नागरिक हैं बिना कोई जान-पहचान के , पोलिस आम तौर पर एफ.आई. आर. दर्ज नहीं करेगी | अब मान लें कि कुछ हज़ार लोग इकट्ठा हो जायें एफ.आई.आर दर्ज करने के लिए , तो पोलिस शायद एफ.आई.आर दर्ज कर भी ले, लेकिन उसके बाद कहाँ शिकायत जाती है, किसी को भी पता नहीं चलता | ये इसीलिए क्योंकि आप अपनी शिकायत **खुद नहीं देख सकते** |

और यदि, आप धरना करते हैं, तो पोलिस आप पर लाठियां बरसायेगी | और कुछ दिनों के बाद, हम आम-नागरिकों को काम पर भी तो जाना होता है ना ! यदि हम एक-दो लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा करें और प्रधान मंत्री को भेजें , और लिखें कि ये सभी लोग कह रहे हैं कि जिले का एम.पी. सही काम नहीं कर रहा है , या भ्रष्ट है, तो प्रधानमंत्री कहेगा कि इनमें से 99% हस्ताक्षर जाली हैं और ये सभी हस्ताक्षर कुछ ही लोगों ने किये हैं |

या यदि हम अनशन करते हैं , तो अनशन के लिए मीडिया का समर्थन चाहिए | बिना मीडिया के समथन के , अनशन से एक मच्छर भी नहीं मरता है | उदाहरण ., 1940 के शुरू के दशक में, चालीस लाख लोग बंगाल में मरे थे, भूख और सूखे के कारण और बिकी हुए मीडिया ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था | लेकिन जब मोहनभाई गाँधी केवल 5 दिनों के लिए भी भूखे रहते थे, तो अंग्रेजों द्वारा प्रायोजित मीडिया बहुत बड़ा-चड़ा कर उसको बताती थी | तो गरीबों और भूखे लोगों के लिए अनशन करने से कोई फायदा नहीं है , -- अनशन केवल उन लोगों के लिए है , जिनका मीडिया के लोगों के साथ अच्छी जान-पहचान है |

आप के प्रधान-मंत्री के दफ्तर भेजा हुआ पत्र का भी कोई काम का जवाब नहीं मिलता है | प्रधान-मंत्री

का दफ्तर ये कह सकता है कि पत्र मिला ही नहीं, केवल लिफाफा मिला या पूरा पत्र नहीं मिला | **आज**, हजारों तरीके हैं कोई भी शिकायत को दबाने के लिए |

अभी, जनलोकपाल बिल में दी गयी शिकायत के तरीके के बारे में जानते हैं | उस बिल में ये लिखा है कि लोकपाल को शिकायत डाक आदि से भेजनी होगी | फिर, लोकपाल हर महीने मिली शिकायतों का सारांश बनाएगा और लोकपाल के वेबसाइट पर रखेगा |

अभी , ये शिकायत का तरीका आज के शिकायत के तरीके के समान ही है | लोकपाल आसानी से वे शिकायतें दबा सकता है, जो लाखों लोगों की भी है | एक भ्रष्ट लोकपाल या लोकपाल जो विदेशी कंपनियों का एजेंट है, कह सकता है :आप ने मुझे पूरी शिकायत ही नहीं भेजी !!

मान लें कि आपने पचास पन्नों की शिकायत-पत्र रेजिस्ट्री से भेजा है | यदि लोकपाल शरद पवार या ए.राजा जितना ईमानदार है और उस भ्रष्ट एम.पी या भ्रष्ट जज के साथ उसकी मिली-भगत है ,तो फिर वो पहले 10 पन्ने निकाल देगा और तीन महीनों बाद, आपको एक पत्र लिखेगा कि “आपने पूरी शिकायत नहीं भेजी है ” | जिस देश में , पूरी फाइल गायब हो जाती है, इस बात की बहुत संभावना है |

इस तरह से ये एक चाल या तरीका है जिसके द्वारा लोकपाल या लोकपाल का कोई भ्रष्ट कर्मचारी आप के साथ खेल सकता है , वो यह है कि “ ये आप की गलती है- आपने पूरी शिकायत नहीं भेजी” और फिर वो आप पर जुर्माना भी डाल सकता है , उसी तरह जैसे जज , जन-हित याचिका दायर करने वालों पर जुर्माना डालते हैं |

`इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के समर्थकों से बात करने पर पता चला है, कि वे सोचते हैं कि जनलोकपाल या लोकायुक्त हरेक शिकायत पर करवाई करेगा और उसे सुलझायेगा | लेकिन ये असलियत में नहीं होगा |

मान लीजिए, पहले साल में देश के 1% लोग यानी एक करोड़ लोग शिकायत करते हैं और मान लीजिए पहले साल में लोकपाल में 20,000 कर्मचारी हैं |

फिर लोकपाल के एक कर्मचारी को लगबग 500 शिकायतें सुलझानी होंगी | मान लीजिए, एक शिकायत को सुलझाने का समय एक हफता है | फिर पूरे साल की शिकायतों को सुलझाने के लिए दस साल लगेंगे !!

और शिकायतों का समूह बनाने के लिए भी कोई तरीका नहीं है जनलोकपाल बिल में | इसीलिए लोकपाल के कर्मचारियों को हरेक शिकायत पढ़नी होगी , जिसमें बहुत समय लगेगा |

इसीलिए हमने ` जनता की आवाज़`-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) का प्रस्ताव किया है | कृपया ध्यान दीजिए कि ये तरीका केवल जोड़ना ही है | जनलोकपाल के सारे तरीके रहेंगे शिकायत के तरीकों समेत | यदि कोई अपनी शिकायत गुप्त रूप से करना चाहता है , तो जनलोकपाल में मौजूद शिकायत के तरीके द्वारा कर सकता है |

अब पहले जो मैंने उदाहरण दिया था उसमें, आप या कोई भी कलेक्टर के दफ्तर जा सकता है और अपनी शिकायत एक एफिडेविट या स्टैम्प-पेपर पर कर दे सकता है | वहाँ मजिस्ट्रेट आपकी जांच करेगा

आपका आई.डी. आदि देखकर और कलेक्टर का क्लर्क उस शिकायत को स्कैन कर लेगा और लोकपाल की वेबसाइट पर डाल देगा | स्कैन करने का क्या फायदा है ? ताकि हरेक शब्द इन्टरनेट पर ,पब्लिक वेबसाइट पर आ जायेगा और लाखों-करोड़ों आपकी शिकायत को देख सकेंगे | फिर यदि किसी ने उसके एक शब्द को भी बदलने की कोशिश की तो लाखों-करोड़ों लोगों को पता चल जायेगा | इसीलिए शिकायत के साथ छेड़-छाड नहीं की जा सकती बिना सभी को पता चले | क्योंकि कोई मूर्ख नहीं है कि कुछ ऐसा गलत काम करे , जो लाखों-करोड़ों लोगों को पता चल जाए , इसीलिए इस तरीके से डाली गयी शिकायत या सुझाव के साथ छेड़-छाड़ नहीं करेगा |

फिर, मान लें कि आप पहले से ही चार-पांच हज़ार लोगों से मिल चुके हैं , जो आपके जिले के एम.पी. के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं | अब आप उनको बताते हैं, कि मैंने शिकयत कर दी है और मुझे शिकायत का नंबर भी मिला है | वे बोलेंगे कि उनको भी शिकायत करनी है | जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ज्यादा दबाव होगा अधिकारियों पर |

लेकिन आप बोलेंगे–नहीं, आपको कलेक्टर के दफ्तर नहीं जाना , यदि आपकी शिकायत शब्द-शब्द मेरे जैसे ही है तो | इसके लिए आपको अपने पास के पटवारी के दफ्तर जाना है | पटवारी ,कलेक्टर द्वारा रखा गया , जमीन के रिकोर्ड के लिए अफसर होता है , और उसे अलग-अलग जगह पर लेखपाल, तलाटी बोला जाता है और जो हर 3-4 गावों में एक होता है और उसी के जैसे अफसर शहर में हर 3-4 वार्ड में एक होता है | पटवारी या लेखपाल आपकी मतदाता पचान पत्र की जानकारी, अंगुली के छाप , फोटो और 3 रुपये (एक रूपया गरीब के लिए) लेगा और लोगों की `हां`/`ना`(समर्थन या विरोध) शिकायत नंबर के साथ जोड़ देगा और पटवारी का क्लर्क ये सब जानकारी लोकपाल के वेबसाइट पर डाल देगा |

इस तरह, कुछ हजारों लोगों के नाम आपके शिकायत के साथ जुड़ जायेंगे कि -`एम.पी. सही से काम नहीं कर रहा है` | ये लोग , और लोगों को बताएँगे और मान लें कि एक लाख लोग शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सभी अपनी हां/ना , लोकपाल की वेबसाइट पर, उस शिकायत के साथ जोड़ सकेंगे |

अब मान लें, कि **आज** ये शिकायत का सिस्टम नहीं है ,और एम.पी. कांग्रेस का है और आप का एक दोस्त है , जो कांग्रेस का समर्थक है, उसको बताते हैं कि एक लाख लोग ,एक कांग्रेस एम.पी. के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं | आपका दोस्त बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो ,आपके पास क्या साबुत है कि इतने सारे लोग शिकायत कर रहे हैं ? और आप कोई भी सबूत नहीं दे सकते |

लेकिन , यदि ये पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम) लागू है, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे ` दोस्त, देखो, आप इन्टरनेट पर लोकपाल की वेबसाइट पर जा कर खुद देख सकते हो कि एक लाख लोगों के नाम, पते, मतदाता पहचान पत्र की जानकारी, अंगुली के छाप, फोटो सभी हैं | आप क्यों नहीं इनमें से कुछ लोगों की खुद जांच कर लेते ? या यदि आपके पास इन्टरनेट नहीं है, तो जिसके पास भी इन्टरनेट है , वो जांच कर सकता है | और अंगुली की छाप से तो 100 % मिलान करके जांच हो सकती है |

आपका दोस्त बोलेगा, ` भाई, तुम ठीक कह रहे हो, **लेकिन** क्या यदि कोई विरोधी पार्टी जैसे भा.ज.पा.,आदि एक-एक हज़ार रूपए देती है एक लाख लोगों को, तो ?` आप कहोगे, दोस्त यदि आप पूरी प्रक्रिया या तरीके को पढ़ोगे, तो उसमें एक सुरक्षा के लिए धारा दी गयी है कि ` कोई भी व्यक्ति अपनी स्वीकृति या अनुमोदन कभी भी रद्द कर सकता है , किसी भी दिन | ` हम इसको अनुमोदन या स्वीकृति बोलते हैं, वोटिंग या मतदान नहीं क्योंकि वोटिंग एक ही दिन होती है और गुप्त होती है और अनुमोदन या स्वीकृति किसी भी दिन दी जा सकती है और खुली होती है |

फिर , आप अपने दोस्त को बोलोगे , कि भा.जा.पा. या कोई विरोधी पार्टी ने यदि एक-एक हज़ार रुपये दिए होते एक लाख लोगों को एक बार , तो उसको 10 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा | और ये सुरक्षा धारा के कारण , लोग अगले दिन या कुछ दिन बाद कहेंगे कि ` देखो, मैंने इस एम.पी. के खिलाफ अपनी ये अनुमोदन या राय इसीलिए दी थी क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी | मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं है | अभी भी मुझे पैसे की जरूरत है | मुझे पैसे दीजिए नहीं तो मैं अपनी स्वीकृति रद्द कर दूँगा |` अभी , यदि देश के सारे अमीर भी अपना पैसा इकट्ठा कर लें , तो रोज रोज करोड़ों रुपये नहीं खर्च कर सकते |

इसीलिए, ये प्रक्रिया या तरीका पैसे से खरीदा नहीं जा सकता | वैसे ही ये गुंडों द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी के पास इतने गुंडे नहीं हैं कि रोज-रोज लाखों-करोड़ों लोगों से जबरदस्ती करवा सके | और ये मीडिया (जैसे समाचार-पत्र, टी.वी. चैनल, पाठ्यपुस्तक आदि) से भी प्रभावित नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि कोई मीडिया झूठ या अफवाह फैलाता है , तो उसकी पोल खुल जायेगी | क्योंकि शिकायत के हरेक शब्द को लाखों-करोड़ों लोग हर समय देख सकते हैं इन्टरनेट पर और किसने समर्थन किया है और किसने विरोध , कोई भी नागरिक कभी भी उस जानकारी को जांच सकता है `पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) द्वारा |

इस तरह ये तरीका एक स्वतंत्र या आजाद मीडिया के जैसे काम करेगा, जिसके द्वारा जानकारी मिल सकती है, जो कोई भी बड़ी आसानी से जांच कर सकता है | और इसके द्वारा मीडिया का एकाधिकार टूटेगा और मीडिया फिर झूठी और बिकी हुई जानकारी नहीं दे पायेगा |

और ये तरीका राजनीति से भी प्रभावित नहीं हो सकता है क्योंकि यदि कोई विरोधी पार्टी किसी ईमानदार मंत्री को इस तरीके के द्वारा बदनाम करने की कोशिश करेगी, झूठी शिकायत डाल कर , तो उस ईमानदार मंत्री के क्षेत्र के नागरिक और अन्य नागरिक , इस शिकायत के खिलाफ अपनी `ना` दर्ज कर सकते हैं, पटवारी के दफ्तर जा कर और फिर उस राजनैतिक पार्टी की पोल खुल जायेगी |

इस तरह, कोई भी व्यक्ति या मीडिया ये नहीं कह सकता कि समर्थक जाली हैं | उल्टा जो व्यक्ति या मीडिया इस जाँची जा सकने वाली जानकारी को नहीं उठाएगा , उसके ऊपर लोगों का भरोस कम हो जायेगा , इसीलिए मीडिया भी ऐसी जानकारी डालेंगे और देशभर में लोग जान जायेंगे कि इस जिले के एम.पी के खिलाफ लाख लोग शिकायत कर रहे हैं , जो ना तो खरीदी गए हैं , ना तो उनपर गुंडों द्वारा कोई जबरदस्ती

की गयी है, और ना तो उनको मीडिया द्वारा प्रभावित किया गया है और फिर , और लोग भी अपने नजदीक के पटवारी या लेखपाल के दफ्तर जाकर इस शिकायत के साथ अपना नाम जोड देंगे |

इस तरह लाखों लोग ये शिकायत का समर्थन करेंगे कि एम.पी . सही से काम नहीं कर रहा है | अब , ये लाखों लोग ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे | ये लाखों-करोड़ों लोग , जिन्होंने ये शिकायत का समर्थन किया है, अपने आस-पास के एम.एल.ए., एम.पी. , जज आदि के ऊपर दबाव डालेंगे ये कहकर ` आप क्यों नहीं कुछ करते इस शिकायत के लिए जब ये साफ़ सबूत है कि लाखों-करोड़ों लोग इस शिकायत का समर्थन कर रहे हैं ? आप खुद देख सकते हैं इन्टरनेट पर ,लोकपाल की वेबसाइट पर जाकर | आप क्यों नहीं लोकपाल को लिखते आदि कुछ करते ?` इसीलिए ये एम.पी. , एम.एल.ए., को कुछ करना होगा , नहीं तो उनकी पोल खुल जायेगी और जनता का गुस्सा झेलना होगा | फिर लोकपाल आदि , उच्च अधिकारियों पर भी दबाव आएगा और उनको भी कोई उचित कार्य करना होगा | **इस तरह , ये पारदर्शी शिकायत या सुझाव देने का सिस्टम जनता के दबाव द्वारा काम करेगा |**

आगे की चर्चा हम अगले विडियो , पार्ट-2 में करेंगे

++++++++++++++ पार्ट-1 खतम +++++

पिछले विडियो में मैंने आपको पारदर्शी शिकायत या सुझाव प्रणाली (सिस्टम) के बारे में बताया था |

99 % लोकपाल ये पारदर्शी शिकायत या सुझाव प्रणाली (सिस्टम) के आने से सीधे हो जायेंगे और अपना कार्य सही से करेंगे लेकिन 1 % या कम लोकपाल फिर भी सोच सकते हैं कि यदि मैं ऐसी शिकायतों को नजरंदाज करता हूँ , जो लाखों लोगों की है ,और करोड़ों लोग भी मेरे खिलाफ हो जायें , तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे | इसके लिए अगला तरीका या प्रक्रिया काम में आएगी - **`प्रजा अधीन-लोकपाल`(या राईट टू रिकाल-लोकपाल)** | जब करोड़ों लोगों को ये पता चलेगा कि लोकपाल अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है , तो वो इस प्रक्रिया या तरीके के अनुसार , उस लोकपाल के खिलाफ अपना अनुमोदन या वोट नहीं दे सकते , लेकिन उनको किसी और व्यक्ति, विकल्प , को लोकपाल बनाने के लिए ढूँढना होगा | इसीलिए , इस प्रक्रिया को `पोसिटिव रिकाल` या `सकारात्मक वापस बुलाने का तरीका` बोला जाता है | अगला व्यक्ति तभी लोकपाल बनेगा , जब वो पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छा होगा | इसीलिए, इस तरीके के लागू होने से सिस्टम में स्थिरता बढ़ेगी |

फिर , नागरिकों को कुछ अच्छे लोग , श्री`क`,`ख`,`ग` को बोलना होगा कि कलेक्टर के दफ्तर जायें और अपना नाम रेजिस्टर करें और उनका नाम लोकपाल की वेबसाइट पर आ जायेगा | और उनके समर्थक पटवारी या लेखपाल के दफ्तर जा कर , उनका समर्थन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पांच व्यक्ति तक का समर्थन कर सकते हैं | इस तरीके में भी एक सुरक्षा धारा होगी, पारदर्शी शिकायत सिस्टम जैसी कि `कोई भी व्यक्ति अपना समर्थन किसी भी दिन रद्द कर सकता है `, जिससे ये तरीका भी पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता , गुंडों या मीडिया द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता | और समर्थन करने वाले लोगों को अपनी जांच भी करवानी होगी पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) के जैसे | अगला लोकपाल तभी आएगा, जब किसी उम्मीदवार को पहले वाले उमीदवार से कम से कम एक करोड़ जयादा पसंद मिलेंगे |

और पारदर्शी शिकयात / सुझाव प्रणाली (सिस्टम) का प्रयोग करके लोगों को ऐसी जानकारी मिलेगी जो वो खुद देख और जांच सकते हैं | ध्यान दें, कि ऐसा करना आज के समय में , संभव नहीं है, मीडिया आदि., के द्वारा दी गयी जानकारी के लिए | यदि कोई व्यक्ति समाज को नुकसान करने वाला काम कर रहा है, तो लोग एफिडेविट में उसकी शिकायत लिखेंगे और दूसरे नागरिक उसका समर्थन करेंगे जबकि यदि कोई जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो नागरिक एफिडेविट में उसके बारे में अच्छी बातें लिखेंगे और दूसरे नागरिक उसका समर्थन करेंगे |

और इस तरह, लोग अपनी पसंद का समर्थन करेंगे और किसी उम्मीदवार को करोड़ों कोगों का समर्थन मिल जाता है, तो करोड़ों लोगों के दबाव से पहले वाला लोकपाल निकाल दिया जाये और सबसे ज्यादा पसंद किये जाने वाले लोकपाल उम्मीदवार को लोकपाल बना दिया जायेगा |

अब इस तरीके को जनलोकपाल बिल में दिए गए भ्रष्ट लोकपाल को हटाने के लिए तरीके से तुलना करें | उसमें लिखा है कि कोई भी लोकपाल के विरुद्ध अर्जी या याचिका डाल सकता है सुप्रीम-कोर्ट में , कोई भी का मतलब , सुप्रीम-कोर्ट जज का आदमी भी याचिका डाल सकता है और जज **ही** फैसला करेंगे कि लोकपाल रहेगा कि हटेगा | इसीलिए , इसका मतलब लोकपाल जजों के प्रति जवाबदार है, लोगों के प्रति नहीं | जज ही निर्णय लेंगे , कि लोकपाल हटाया जाये कि नहीं |

अभी , `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के शांति भूषण ने कहा है एक बंद लिफ़ाफ़े में , सुप्रीम-कोर्ट के एक एफिडेविट में कि पिछले 16 सुप्रीम-कोर्ट प्रधान जजों में से 8 भ्रष्ट थे | और ये मामला अभी भी लटका हुआ है, ना तो सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज इसे आगे बढाते हैं और ना ही ख़ारिज करते हैं | हो सकता है कि ऐसा इसीलिए कर रहे हों कि उनकी भी पोल ना खुल जाये |

और लोकपाल या कोई अन्य व्यक्ति यदि रिश्वत लेकर विदेशी बैंक के गुप्त खातों में जमा कर देते हैं, तो कोई भी सबूत नहीं होगा, और जज , यदि ईमानदार भी हो, तो भी कुछ नहीं कर सकता , क्योंकि जनलोकपाल या सरकारी बिल में कोई भी धाराएं नहीं हैं, इसको रोकने के लिए | मैंने हजारों `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के कार्यकर्ताओं को इस बारे में पूछा है और वे जनलोकपाल बिल में कोई भी धाराएं नहीं बता सके जो लोकपाल को रिश्वत लेकर विदेशी गुप्त खातों में जमा करने से रोक सकें |

99% बड़े स्तर के रिश्वतों में, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, लेकिन कोई भी कोर्ट द्वारा माने जाने वाला सबूत नहीं होता, क्योंकि रिश्वत लेने वाला इतना मूर्ख नहीं है कि कोई भारतीय बैंक में रिश्वत के पैसे जमा करेगा या रिश्वत लेने के कोई और सबूत छोड़ देगा |

बहुत कम भारत के नागरिकों को ये सच्चाई समझ में आई है - कि भ्रष्टाचार से दस गुना भारत में कुछ बुरा हो रहा है | क्या ? हमारी खेती, हथियार बनाने का सामर्थ्य या क्षमता और गणित/विज्ञान की शिक्षा दिनों दिन कमजोर हो रही है | ये इसीलिए क्योंकि विदेशी कम्पनियाँ, केंद्र और राज्य में हमारे मंत्रियों, बाबूओं को रिश्वत दे रही हैं , हमारी खेती, हथियार बनाने की ताकत और गणित/विज्ञान की शिक्षा को कमजोर बनाने के लिए | और जनलोकपाल इस स्थिति को और खराब बना सकती है | कैसे ?

लोकपाल चुनाव समिति में कोई 10-12 लोग हैं, जो बहू-राष्ट्रीय या विदेशी कम्पनियाँ आसानी से खरीद सकती हैं या धमकी दे सकती हैं , राडिया जैसे दलाल द्वारा | और इस तरह विदेशी कम्पनियाँ ये पक्का कर सकती हैं कि विदेशी कंपनियों के एजेंट , साफ़-सुथरे नाम वाले लोग , लोकपाल बनें | ये भ्रष्ट एजेंट-लोकपाल द्वारा , विदेशी कंपनियां निचले स्तर के भ्रष्टाचार (कलेक्टर के स्तर के नीचे) को दबाएंगे, क्योंकि निचले स्तर के भ्रष्टाचार से विदेशी कंपनियों को अधिक नुकसान होता है छोटे-मध्यम स्तर के व्यापारियों के तुलना में |

यदि कोई अफसर विदेशी कंपनियों से रिश्वत मांगेगा , तो भ्रष्ट लोकपाल करवाई करेगा लेकिन यदि स्थानीय व्यापारियों से रिश्वत मांगी जाये , तो शायद ही भ्रष्ट लोकपाल ऐसा कोई कारवाई करेगा | और साथ ही, लोकपाल खेती, हथियार बनाने की ताकत और गणित-विज्ञान शिक्षा को कमजोर बनाने वाली नीतियों को बढ़ावा देंगे , ताकि भारत , ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहे | विदेशी कम्पनियाँ और भ्रष्ट लोकपाल ऐसी नीतियां को कैसे बढ़ावा दे सकती हैं ? उन बाबू, जज, मंत्रियों को परेशान करके (उनके खिलाफ झूठे मामले बनाकर) जो इन भारत-विरोधी नीतियों या तरीकों का विरोध करते हैं और उन मंत्रियों, जज, बाबूओं का पक्ष/तरफदारी लेकर, जो ऐसी नितियों का समर्थन करते हैं |

और उत्तराखंड लोकायुक्त बिल 2011 में , जो राज्यों के लिए लोकपाल है, लोकायुक्त को अपनी अवमानना के लिए सज़ा देने का अधिकार दिया गया है | तो , फिर लोकायुक्त यदि विदेशी कंपनियों का एजेंट बन जाता है, और कोई व्यक्ति इसके बारे में लिखता है या बोलता है ,तो उसको 6 महीनों के लिए जेल की सज़ा दी जा सकती है !!

अब लोकपाल ड्रामा के बारे में बात करते हैं |

वर्ष 2010 में भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) **पर हस्ताक्षर किया था लेकिन इस का निर्णय कुछ 2 साल पहले ही ले लिया गया था | यदि जनलोकपाल ड्रामा या नकली आंदोलन के बिना सरकार लोकपाल क़ानून पास करती, तो लोग यह कहते कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ (जो सिर्फ एक अमेरिकी एजेंसी है) से आदेश के रूप में काम कर रही है इसलिए इस तरह के जन आंदोलन के भ्रम की जरूरत थी ... जो इस तरह लगता कि जो कुछ भारत सरकार कर रही है वो जनता और जन आंदोलन के दबाव में आ कर कर रही है|**

जनलोकपाल ड्रामा या नकली आंदोलन में छुपा हुआ सत्य यह है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही लोकपाल बिल बना रहे हैं|

अन्ना केवल नाम के भूखे हैं | नाम के भूखे लोग , अपने पैसों के लेन-देन में सबसे ईमानदार लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होंता है कि थोड़ी सी भी लेन-देन में बेईमानी उनके अंध-भक्तों में उनपर श्रद्धा को समाप्त कर सकती है , और उनके विरोधियों को उनके खिलाफ हथियार दे सकती है | लेकिन नाम के भूखे लोग हमेशा उन लोगों का साथ स्वीकार कर लेते हैं , जो मीडिया के मालिक होते हैं और जो कभी भी देश के आम-नागरिकों के प्रति ईमानदार नहीं होते | नाम के भूखे नेता और नेता जैसे लोग देश को बहुत नुक्सान पहुंचाते हैं | वे देश के लिए महत्पूर्ण प्रस्तावों से कार्यर्ताओं का ध्यान हटा देते हैं जैसे कि विदेशी कंपनी के मालिकों के वर्चस्व या शाशन कम करना , बांग्लादेशियों को देश से बहार निकालना, भारतीय सेना को कमजोर होने से कैसे रोकना , सुप्रीम-कोर्ट, हाई-कोर्ट और निचली अदालतों में भाई-भातिजेवाद, भ्रष्टाचार कैसे

रोकना , आदि |

ये सत्य कि अन्ना विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म-प्रचारकों के पक्ष की बात कर रहे हैं और कोई भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस बात से सिद्ध हो जाता है कि अन्ना खुले आम राईट टू रिकाल-लोकपाल और राईट टू रिजेक्ट-लोकपाल की धाराएं जनलोकपाल के ड्राफ्ट में डालने से मन कर रहे हैं | एक ओर, अन्ना अपने को राईट टू रिजेक्ट का मसीहा बताते हैं और राईट टू रिकाल का मसीहा बताते हैं और दूसरी ओर वे अपने सभी समर्थकों को बोलते हैं कि राईट टू रिकाल जनलोकपाल और राईट टू रिजेक्ट जनलोकपाल प्रस्ताव का विरोध करो | क्यों ? मैं सभी अन्ना के भक्तों से विनती करता हूँ कि इस विषय पर खुले मन से सोचें |

अन्ना की विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म-प्रचारकों के साथ ये समझौता था कि अन्ना उनके लिए विदेशी कंपनी-पाल यानी लोकपाल यानी जनलोकपाल लाएगा और उसके बदले , विदेशी कंपनी के मालिक और ईसाई-धर्म प्रचारक अन्ना को पूरा-पूरा नाम देंगे , जो उनको चाहिए | नाम के भूखे अन्ना को वो नाम मिला जो उन्हें चाहिए था | और विदेशी कंपनियों के मालिकों और ईसाई धर्म-प्रचारकों को वो विदेशी कंपनी-पाल यानी ईसाई धर्म-प्रचारक पाल मिल जायेगा ,जो उनको चाहिए |

और अन्ना जी फेल नहीं हुए हैं | वे काफी हद तक सफल हुए हैं विदेशी कंपनी-पाल यानी ईसाई धर्म-प्रचारक पाल यानी लोकपाल क़ानून को लगबग पास करवाने में | ये जरूर है, कि वे ज्यादा ताकतवर विदेशी कंपनी-पाल यानी ईसाई धर्म-प्रचारक पाल यानी लोकपाल क़ानून चाहते थे, लेकिन लोकपाल का ये रूप भी विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म-प्रचारकों के लिए काफी अच्छा है भरतीय प्रशाशन को काबू में करने के लिए | अन्ना ने उनके साथियों, विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्मप्रचारों का बहुत अच्छी तरह से साथ दिया है | कुल मिलाकर, ये लगता है कि भारत के आम-नागरिकों को छोड़कर सभी की जीत होगी और भारत के आम-नागरिक की हार होगी | सरकारी लोकपाल में नौ शक्तिशाली सदस्य हैं जिनके पास किसी को भी सज़ा देने और कैद करने की ताकत है - मंत्रियों , पुलिसकर्मी, भारतीय प्रशासनिक सेवाकर्मी (आई. ए.एस), आदि | तो विदेशी-कंपनियों के मालिक और ईसाई धर्म-प्रचारकों को केवल 9 लोकपाल के साथ ही मिली-भगत बनानी होगी | और भारत के आम-नागरिक हार जायेंगे--- अन्ना जी के कारण --- क्योंकि आम-नागरिक ये लोकपाल सदस्यों को बदल नहीं सकते |

भारत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यू.एन.सी.ए.सी) समझौते पर हस्ताक्षर किया -
इसका लिंक विवरण में देखें |

http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-e.pdf

भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लिखा गया था , एक ऐसा अल्प-लोकतान्त्रिक संस्था बनाने के लिए , दुनिया के सभी देशों में, ताकि विदेशी कंपनियों को फिर, कम व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़े या काबू में करना पड़े |

भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) के अनुच्छेद -5, धारा-1 और अनुच्छेद-6, धारा-1 और 2 के अनुसार, एक शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी " स्वतंत्र " संस्था बनाने की जरूरत थी | "स्वतंत्र" का मतलब है , `बिना चुनाव के `. मतलब ऐसे लोग जिनका कोई जनाधार नहीं हो , और इसीलिए उन्हें शीर्ष के विदेशी

कंपनियों द्वारा आसानी से मजबूर किया जा सकता है, वे कार्य करने के लिए जो शीर्ष के विदेशी कम्पनियाँ चाहती हैं |

तो फिर , कोई जन-आन्दोलन हो या ना हो, भारत सरकार लोकपाल के जैसे बिल को पास करने ही वाली है , भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) की आवश्यकता को पूरी करने के लिए | लेकिन बिना कोई जन-आन्दोलन के , भारत के लोगों को ये खराब लगता कि भारत सरकार उस संयुक्त राष्ट्र का कहा मान रही है, जिसे ज्यादातर भारतीय नागरिक उचित रूप से भ्रष्ट विदेशी-कंपनियों की कठपुतली की तरह देखेते हैं

<u>अभी हम बात करते हैं सबसे ज्यादा खतरा जिसका भारत के नागरिक सामना कर रहे हैं _ और जिसका कार्यकर्त्ता नेता नजरंदाज कर रहे हैं |</u>

यदि मैं पांच सबसे बड़े और महत्वपूर्ण खतरों के बारे में पूछूं जिनका सामना आज भारत कर रहा है तो कोई व्यक्ति आतंकवाद या नक्सलवाद अथवा गरीबी अथवा भ्रष्टाचार अथवा शिक्षा की गिरती हालत आदि को बताएगा। ये खतरे वास्तव में पहले पांच खतरों की सूची में रखे जाने लायक हैं | और इनमें कुछ व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, **लेकिन ज्यादातर नागरिक उस सबसे बड़े खतरे की अनदेखी कर रहे हैं जिसका सामना आज भारत कर रहा है। यह है - भारतीय सेना का कमजोर होते जाना। और तब इसका परिणाम होगा - भारत का 'इराकीकरण' और "पश्चिमी देशों द्वारा भारत को फिर से गुलाम बनाया जाना।"**

ज्यादातर भारतीय समाचार-पत्र मालिकों,टेलिविजन चैनल मालिकों और नामी बुद्धिजीवियों के बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से आर्थिक सम्बन्ध हैं । और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि इस समस्या को उजागर नहीं करेंगे -कि भारतीय सेना दिनों-दिन कमजोर होती जा रही है । लेकिन, भारतीय सेना आज इतनी कमजोर है कि पश्चिमी देश और चीन जिस दिन भारत पर आक्रमण करने का निर्णय कर लें उस दिन भारत का नाश कर सकते हैं और अब हम लोगों के पास केवल कुछ ही वर्ष बचे हैं जिसके बाद पश्चिमी देश और चीन भारत को गुलाम बनाने का निर्णय कर सकते हैं।

पश्चिमी देश या चीन भारत पर सीधे आक्रमण न करके पाकिस्तानी सेना को धन, हथियार और सेटेलाइट या उपग्रह द्वारा प्राप्त सूचनाएं दे सकते हैं और भारत में एक कत्ले-आम करवा सकते हैं अथवा पश्चिमी देश और चीन नक्सलियों को सबसे अच्छे हथियार देकर भारतीय सेना को तहस-नहस करने के लिए कह सकते हैं (जैसा कि नेपाल में हुआ है)। और यदि हम अगले कुछ वर्षों में अपनी सेना में सुधार नहीं करते हैं तो भारत एक "इराक" बन सकता है । अब सेना में सुधार करके उसे अमेरिका के सेना के बराबर ताकतवर बनाना आसान है, यदि एक बार कुछ अच्छे कानून पास हो जाएं। लेकिन इन कानूनों को लागू करवाने के लिए कार्यकर्ताओं का समय चाहिए और यदि कार्यकर्ता इन कानूनों को लागू करवाने के लिए समय नहीं देने का निर्णय कर लेते हैं तो मुझे भारतीय सेना में सुधार लाने का कोई रास्ता नहीं दिखता ।

और ये सोचना कि विदेशी कम्पनियाँ कभी भी देश को गुलाम नहीं बनायेंगी एक बहुत बड़ी भूल होगी | विदेशी कंपनियों का, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे , मुख्य उदेश्य यहाँ व्यापार करना नहीं है, लेकिन देश को गुलाम बनाना और फिर अंत में जब देश की सुरक्षा बहुत कमजोर हो जायेगी, देश को अपनी कठपुतली बनाना है जैसे फिलीपीन या उनके गुलाम देश बनाना है जैसे इराक और देश के 99% लोगों को लूट लिया जायेगा | और अमीर लोग ,जो विदेशी कंपनियों के समर्थक हैं सबसे पहले लूट लिए जायेंगे |

(अलग से मुझे समझाने दीजिए क्यों निचले स्तर का भ्रष्टाचार छोटे-मध्यम स्तर के व्यापारियों को फायदा करता है विदेशी कंपनियों के तुलना में | मान लीजिए एक व्यक्ति दिल्ली, अहमदाबाद जैसे शहर में

5-10 होटलों का मालिक है | और एक और होटल खोलना चाहता है और स्थानीय अफसर उससे रिश्वत मांगते हैं, कहें 5 लाख की | तो वो रिश्वत दे देता है |

अब दूसरी ओर, एक विदेशी व्यापारी अमेरिका में बैठा है और उसको भी एक और होटल खोलना है | मान लीजिए स्थानीय अफसरों को 5 लाख की रिश्वत चाहिए इस के लिए | अब विदेशी व्यापारी सीधे तो स्थानीय अफसर से सौदा नहीं कर सकता , इस के लिए उसे दलाल चाहिए | अब दलाल कहेंगे कि अफसर 50 लाख रिश्वत मांग रहे हैं !! लेकिन विदेशी व्यापारी जो अमेरिका में बैठा है, उसके पास कोई साधन नहीं है ये जानने के लिए और इसीलिए उनको 10 गुना रिश्वत देना पड़ता है उस के तुलना में जो स्थानीय व्यापारी को देना पड़ता है |

इसी तरह, छोटे-मध्यम व्यापारी बिक्री-कर या उत्पादन शुल्क आदि टैक्स की चोरी करने में सफल हो जाता है, उस जगह भ्रष्टाचार होने के कारण, लेकिन विदेशी कम्पनियाँ को 5-10 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है , क्योंकि उन्हें दलालों को बहुत हिस्सा देना पड़ता है | इसी लिए , निचले स्तर के भ्रष्टाचार को समाप्त करना भारत के लिए केवल तभी फायदा करेगा , यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों,सुप्रीम कोर्ट और हाई-कोर्ट के जजों, सचिवों का भ्रष्टाचार कम हो तो | यदि मंत्रियों, जजों, आदि का भ्रष्टाचार वैसा ही रहता है और निचले स्तर का भ्रष्टाचार कम हो जाता है, तो इससे भारत देश को कोई फायदा नहीं होगा)

अब यदि , राईट टू रिकाल-लोकपाल और पारदर्शी शिकायत प्रणाली की धाराएं लोकपाल बिल में नहीं हैं, तो लोकपाल विदेशी कंपनियों से , या जो भी ज्यादा पैसा देगा , से रिश्वत लेकर विदेशी बैंक के गुप्त खातों में जमा कर देगा और विदेशी कंपनियों का एजेंट बन कर ईमानदार सरकारी अफसरों और छोटे-मध्यम व्यापारियों को बर्बाद कर देगा (यानी कि स्वदेशी का नाश कर देगा) और देश को विदेशी कंपनियों के हाथ बेच देगा | देश गुलाम हो जायेगा और 99% देश के लोग लूट लिए जायेंगे |

अब प्रश्न ये है कि विदेशी कम्पनियाँ और भ्रष्ट लोकपाल मिलकर कैसे छोटे-मध्यम व्यापारों को बर्बाद करेंगे ? क्योंकि विदेशी कम्पनियाँ और स्थानीय व्यापार आपस में विरोधी या प्रतिद्वंदी हैं , और लोकपाल के पास निचले सरकारी अधिकारियों पर अधिकार रहेगा ,विदेशी कम्पनियाँ लोकपाल को कहेंगी कि लायसेंस अफसर या टैक्स अधिकारी आदि द्वारा छोटे व्यापारियों को सताने के लिए , ऊंची रिश्वतें मांगकर या ऊंची सजा देकर छोटी-छोटी गलतियों के लिए | यदि निचले सरकारी अफसर मान जाते हैं ये करने के लिए, तो ठीक , नहीं तो उनपर झूठे मामले और जांच-पड़ताल बैठा दिए जायेंगे | इस तरह ईमानदार सरकारी अफसरों और छोटे-मध्यम व्यापारों को बर्बाद किया जायेगा जिससे ईमानदार लोग सरकारी नौकरी नहीं करेंगे और छोटे-मध्यम व्यापार बंद हो जायेंगे या विदेशी कंपनियों के हाथों बिक जायेंगे |

मीडिया , जो ज्यादातर विदेशी कंपनियों द्वारा प्रायोजित है, जनलोकपाल **बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल के,** का समर्थन कर रहा है | **क्यों ?** क्योंकि जनलोकपाल या सरकारी लोकपाल बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल की धाराएं , के आने से विदेशी कंपनियों को केवल 10-11 लोगों को रिश्वत देनी होगी, आज की तुलना में ,जब उन्हें हज़ारों निचले सरकारी अफसरों को रिश्वत देनी होती है | 10-11 लोकपाल , विदेशी कंपनियों के एजेंट बन जायेंगे , उन से रिश्वत लेकर विदेशी गुप्त खातों में और ईमानदार अफसरों पर झूठे मामले बना दिए जायेंगे और उनका जीवन और कैरियर बर्बाद कर दिया जायेगा , जैसे वंजारा, गुजरात के पूर्व-एस.पी. का जीवन बर्बाद हुआ क्योंकि वो जेल में 5 सालों से है और 5 सालों से उसपर जांच-पड़ताल ही चल रही है |

और इस तरह लोकपाल निचले सरकारी अफसरों को विदेशी कंपनियों की तरफदारी करने के लिए दबाव डाल सकता है और उनके विरोधी, स्थानीय व्यापारियों को बर्बाद कर सकता है |

`इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के शीर्ष के लोग/नेता कहते हैं कि यदि लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो सुप्रीम-कोर्ट के जज उसको निकाल देंगे |

देखिये , हमारे पास पहले ही क़ानून है कि यदि एम.पी. आदि भ्रष्ट है, तो हाई-कोर्ट के जज और सुप्रीम-कोर्ट के जज उनको जेल में डाल सकते हैं, जिसके लिए उनको किसी की अनुमति नहीं चाहिए | लेकिन हमने देखा है कि हाई-कोर्ट के जज भ्रष्ट एम.पी को कभी भी सज़ा नहीं देते और वे छूट जाते हैं |
इसीलिए , ये क़ानून कि " सुप्रीम-कोर्ट के जज भ्रष्ट लोकपाल को सज़ा देंगे " उतना ही बेकार है जितना कि "हाई-कोर्ट के जज भ्रष्ट एम.पी. को सज़ा देंगे " का क़ानून |

इसीलिए हमें राईट टू रिकाल के धाराओं के साथ वाला जनलोकपाल की मांग करनी चाहिए |

हमें समझना चाहिए कि " बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल,नागरिकों द्वारा के जनलोकपाल " एक जहर है क्योंकि लोकपाल विदेशी कंपनी के एजेंट और ईसाई धर्म-प्रचार करने वालों के एजेंट बन सकते हैं | और क्या ये सोचना ठीक है कि लोकपाल विदेशी कंपनियों के एजेंट नहीं बन सकते ?

देखिये , विदेशी कम्पनियाँ खोज और चुनाव समिति में 20 लोगों को रिश्वत देकर , ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि केवल उनके एजेंट ही लोकपाल बनें !!! अभी , यदि राईट टू रिकाल-लोकपाल या प्रजा अधीन-लोकपाल है, तो लोकपाल डरेगा भारत विरोधी, विदेशी कंपनियों के समर्थन में कदम लेने से | लेकिन यदि राईट टू रिकाल-लोकपाल नहीं है , तो लोकपाल भारत को विदेशी कंपनियों और ईसाई धर्म-प्रचारकों को बेच देगा |

इसीलिए , "राईट टू रिकाल के साथ वाला जन-लोकपाल " का विरोध करना अभी तक केवल एक गलती थी, क्योंकि आप को ये पता नहीं था कि विदेशी कम्पनियाँ अपने आदमी भी लोकपाल के पद पर रख सकते हैं या लोकपाल को खरीद सकते हैं | अभी जब आप को ये पता लग गया है कि ऐसे हो सकता है, यदि हम अब भी राईट-टू रिकाल-लोकपाल की धाराएं लोकपाल बिल में जोड़ने के लिए विरोध करते हैं, तो हम केवल देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं |

प्रिय `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के कार्यकर्ता ,

शांति भूषण कहते हैं कि सुप्रीम-कोर्ट के 50% जज भ्रष्ट हैं | यदि मान लें कि जनलोकपाल कोई ईमानदार व्यक्ति बनता है और उसने सुप्रीम-कोर्ट जजों में भ्रष्टाचार का खुलासा किया | तब जनलोकपाल बिल के क़ानून-ड्राफ्ट में जो सुप्रीम-कोर्ट के जजों को अधिकार दिए गए हैं, उनका प्रयोग कर के सुप्रीम-कोर्ट के जज

उसको हटा सकते हैं |

अभी क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा आम-नागरिक उस ईमानदार जनलोकपाल को वापिस ला सकते हैं ? नहीं | प्रस्तावित राईट टू रिकाल-लोकपाल (या प्रजा अधीन-लोकपाल) का ड्राफ्ट ऐसा ही करता है --- ये आम-नागरिकों को ईमानदार जनलोकपाल को वापिस लाने का अधिकार देता है | इसीलिए कृपया `लोकपाल को बनाये रखने का अधिकार की धाराओं के साथ वाले जनलोकपाल` का समर्थन करें |

यदि हम राईट टू रिकाल-लोकपाल के धारा 8 को पढते हैं , उसमें लिखा है कि -

नागरिक यह तरीका का प्रयोग किसी ` लोकपाल सदस्य` को बनाये रखने के लिए या वापस लाने के लिए भी कर सकते हैं , यदि कोई ` लोकपाल सदस्य` को निकाल दिया गया था परन्तु नागरिक उसे पद पर बनाये रखना चाहते हैं । इसीलिए यह धारा **`लोकपाल को बनाये रखने का अधिकार`(राईट टू रिटेन)** से भी जाना जायेगा ।

आगे की चर्चा हम अगले विडियो ,पार्ट-3 में करेंगे |

++++++++++++++ पार्ट-2 समाप्त +++++++++

पिछले विडियो में हमने राईट टू-रिकाल-लोकपाल और पारदर्शी शिकयत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) क्यों जरूरी है, के बारे में बात की थी |

आज कल , `राईट टू रिजेक्ट` यानी `हटा देने का अधिकार` की बहुत बात हो रही है लेकिन मीडिया या `इंडिया अगेंस्ट करप्शन ` के नेता ये कभी नहीं बताते कि ये केवल एक बटन है, `इनमें से कोई भी नहीं` के लिए , जो केवल हर 5 साल में एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है | इसका 1% भी फायदा नहीं है क्योंकि , जो कांग्रेस से नफरत करते हैं, वे अपना वोट विरोधी पार्टी जैसे भा.ज.पा. को देंगे और भा.ज.पा. से नफरत करने वाले कांग्रेस को अपना वोट देंगे और 1% मतदाता भी `इनमें से कोई भी नहीं` का बटन का प्रयोग नहीं करेंगे |

हमने एक तरीका का प्रस्ताव किया है `आम-नागरिकों द्वारा हटा देने का अधिकार,किसी भी दिन ` | चुनाव समिति 10 लोकपाल को तैनात करेगी और प्रजा-अधीन लोकपाल या राईट टू रिकाल-लोकपाल से 10 में से एक लोकपाल आम-नागरिकों द्वारा बदला जा सकेगा | ऐसा ही मिलता-झूलता तरीका , जिसमें नागरिक `ना` या `विरोध` दर्ज कर सकते हैं, उसका प्रयोग `आम-नागरिक द्वारा लोकपाल को हटाने के अधिकार, किसी भी दिन ` के लिए किया जायेगा |

अभी कुछ प्रश्न लेते हैं |

पहला प्रश्न : *क्या करोडो नागरिक एक लोकपल उम्मीदवार को पसंद करेंगे या अनुमोदन देंगे ?*

उत्तर : निर्भर करता है कि पद पर बैठा लोकपाल कितना बुरा है और विकल्प कितने अच्छे हैं । कुछ 60% से 75% नागरिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट देते हैं बावजूद इसके कि उनके सामने जो विकल्प होते हैं, उनमें से किसी पर भी नागरिकों को कोई आशा नहीं होती । इससे यह पता चलता है कि नागरिक बदलाव करने के लिए पहल जरूर करते हैं । यदि विकल्प में उम्मीदवार लायक हैं, और यदि आज के लोकपाल भ्रष्ट है तो नागरिक बदलाव करने के लिए पहल करेंगे ।

दूसरा प्रश्न : *क्या राइट टू रिकॉल जैसे कानून को अमरीका जैसे शिक्षित देश में ही सिमित नहीं रखना चाहिए ? भारत जैसे अनपढ़ देश में लागू क्यों करना चाहिए ?*

उत्तर : अमरीका के पास अच्छी शिक्षा है क्योंकि वहाँ के नागरिकों के पास उनके जिला शिक्षा अधिकारी पर राइट टू रिकॉल है !! पर हमारे पास जिला शिक्षा अधिकारी पर राइट टू रिकॉल नहीं है और इसी कारण भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी , शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाले राशि को गायब कर देता है इसिलए अधिकतर नागरिक अशिक्षित रह जाते हैं । जब अमेरिका में राईट टू रिकाल आया था, वहाँ पर शिक्षित लोग बहुत कम थे और राईट टू रिकाल-शिक्षा अधिकारी आने से ही वहाँ शिक्षा-स्तर बढ़ा था |

अभी हम राईट टू रिकाल-लोकपाल या प्रजा अधीन-लोकपाल , नागरिकों द्वारा , राईट टू रिकाल-प्रधानमंत्री, राईट टू रिकाल जज आदि तरीकों के बारे में बात करेंगे | (राईट टू रिकाल मतलब आम-नागरिकों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को बदलने का अधिकार)

मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री या कंपनी है जिसमें 100 कर्मचारी हैं और सरकार एक कानून बनाती है कि आप किसी भी कर्मचरी को ना ही निकाल सकते और ना नहीं निलंबित कर सकता हैं अगले 5 से 25 वर्षों तक सुप्रीम-कोर्ट के बिना सहमति लिए हुए । तब अनुशासन की कमी बढ़ेगी या कम होगी ? जाहिर है कि अनुशासन की कमी बढ़ेगी | हम नागरिक 10 लोकपाल को नियुक्त या तैनात कर रहे हैं और लोकपाल ड्राफ्ट यह कहता है की हम नागरिक उन 10 में से 1 लोकपाल को भी नहीं निकाल सकते हैं बिना सुप्रीम-कोर्ट के जज की अनुमति के बिना !!

तो मेरा यह सुझाव है की कम से कम 10 में से 1 लोकपाल , नागरिकों द्वारा हटाने या बदलने का अधिकार होना चाहिए यदि सभी 10 को वापिस न बुलाया जा सके तो । `सिविल सोसाइटी` में बहुत लोग यह विश्वास करते हैं कि हम आम नागरिक किसी बेईमान को ही नियुक्त या तैनात करेंगे । पहले तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन यदि उनकी बात मानें तो भी 10 में से 1 ही बेईमान होगा । बाकि बचे हुए लोकपाल नियुक्त किये जाएँगे `खोज और चयन समिति` के द्वारा और इसी लिए वो सभी ईमानदार होंगे । तो केवल एक बेईमान लोकपाल अधिक हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि सारे निर्णय मिलकर सभी लोकपाल सदस्य लेंगे

। तो 10 में से एक भी लोकपाल-सदस्य के ऊपर राइट टू रिकॉल (या `भ्रष्ट कों बदलने का आम नागरिकों का अधिकार`) का विरोध क्यों है ?

राइट टू रिकॉल या प्रजा अधीन राजा या `भ्रष्ट को निकालने का अधिकार` कोई विदेशी विचार नहीं है । सत्यार्थ प्रकाश कहता है की राजा को प्रजा के अधीन होना ही चाहिए अन्यथा वह नागरिकों को लूट लेगा और और इस तरह देश का नाश हो जाएगा | दयानंद सरस्वती जी ने यह श्लोक अथर्ववेद से लिए हैं | तो राइट टू रिकॉल या प्रजा अधीन राजा कोई अमरीकी या विदेशी विचार नहीं है ,यह सम्पूर्ण भारतीय है ।

अमरीका में नागरिकों के पास पोलिस कमिश्नर को निकलने का अधिकार है और यही एक मात्र कारण है की अमरीका के पोलिस में भ्रष्टाचार कम है | इसी तरह अमरीका के नागरिकों के पास हाई-कोर्ट के प्रधान जज और निचली अदालतों के जजों को भी निकलने का अधिकार है | यही कारण है कि कार्यवाही बहुत तेज होती है और अमेरिका के निचली अदालतों में भ्रष्टाचार बहुत कम है । अमरीका के नागरिकों के पास राज्यपाल, विधायक, जिला शिक्षा अधिकारी , मेयेर या महापौर, जिला या राज्य सरकारी दंडाधिकारी इत्यादि पर राइट टू रिकॉल है । यह ध्यान दें कि अमरीका में कोई भी लोकपाल (ओम्बुड्समेन या प्रशासनिक शिकायत जाँच अधिकारी) नहीं है इसके बावजूद अमरीका के राज्य और जिलों में अधिकतर विभागों में भ्रष्टाचार कम है क्योकि अधिकतर राज्य और जिलो में राइट टू रिकॉल या `भ्रष्ट कों बदलने का अधिकार` है । वही अमरीका में केंद्र के मंत्रियों(यानी सीनेटरों) और केन्द्र के अधिकारियो में भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में है क्योंकि केंद्र के मंत्रियों और केन्द्र के अधिकारियो पर राइट टू रिकॉल नहीं है ।

वर्ष 2004 में मैंने अनेक कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया कि हमें पारदर्शी शिकायत /प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) और सुचना अधिकार के कमिश्नर पर राईट-टू रिकाल के धाराओं को भी उस समय के प्रस्तावित `सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई)` में जोड़ना चाहिए । अन्य शब्दों में, `सूचना के अधिकार` में एक खंड जोड़ीं जाये कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है , तो उसकी अर्जी इन्टरनेट पर कोई सार्वजनिक वेबसाइट(जैसे प्रधान-मंत्री या लोकपाल की वेबसाइट) पर आये और जागरूक नागरिक अपना नाम तलाटी या पटवारी या लेखपाल के दफ्तर जाकर उस अर्जी के साथ जोड़ सके । मुझे यह उत्तर मिला कि अभी के लिए `सूचना के अधिकार अधिनियम(आर.टी.आई)` बिना पारदर्शी शिकायत प्रणाली (सिस्टम) और राईट टू रिकाल-सूचना अधिकार कमिश्नर के रखेंगे और इसे हम बाद में जोड़ देंगे ।

8 वर्ष बीत चुके है लेकिन वो `बाद में` हमें अभी तक देखने को नहीं मिला । इसका नतीजा ये हुआ कि जब राहुल गाँधी ,सोनिया गाँधी पर सूचना अधिकार डाला गया और उनके द्वारा सांसद कोष में से उनके क्षेत्र के लिए पैसे का क्या खर्च हुआ , जानकारी मांगी गयी | सूचना अधिकार कमिश्नर ने उत्तर दिया कि सांसद और विधायक तो सूचना अधिकार के अंतर्गत आते ही नहीं !! ऐसे कमियों वाले क़ानून लाये जाते हैं और जब भ्रष्टाचार कम नहीं होता तो सारा दोष आम-नागरिकों को दिया जाता है कि उनमें `जागृति` नहीं है`, कमियों वाले कानूनों का दोष नहीं बताया जाता | तो इस समय मैं सभी नागरिकों से विनती करता हूँ कि सुनिश्चित करें कि यह धाराएं 15 दिनों से पहले तक जोड़ दिया जाए ना की बाद में अलग-अलग लोकपाल बिलों में | मैं फिर से विनती करता हूँ की आप सभी मेरे धाराओं का समर्थन न करे , लेकिन 15 दिनों के अंदर, निश्चित समय के पहले कोई बेहतर धाराएं अवश्य लायें । मै विरोध करता हूँ ये तर्क का कि देश को नुकसान से बचाने के लिए ये धाराओं या इससे अच्छी धाराओं को अगले जन्म में आना चाहिए ।

85 सालों से , नेता लोग बोल रहे हैं ` अभी नहीं` भ्रष्ट को बदलने के तरीकों के लिए | 85 साल पहले , भगत सिंह की पार्टी, हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी आर्मी ने ऐसे तरीकों की मांग की थी, जिसके द्वारा आम-नागरिक भ्रष्ट को बदल सकें या सज़ा दे सकें | फिर 1946 में, एम.एन.रॉय ने भी ये तरीकों

की मांग की थी |

लेकिन एक नेता जिसका नाम नेहरु था , उसने भ्रष्ट जजों, अफसरों के साथ बड़ी ही बेशर्मी से एक लोकतान्त्रिक तरीका हटा दिया जिसका नाम जूरी सिस्टम है, और जिसके द्वारा आम-नागरिक भ्रष्ट को सज़ा दे सकते हैं | उन्होंने जूरी सिस्टम को हटा दिया बजाय के उसको और मजबूत बनाने के | उस समय भी नेताओं ने बोला `अभी नहीं` |

फिर 1970 के दशक में ,जय प्रकाश नारायण ने भी ऐसे ही तरीकों की मांग की थी , तो आप नेताओं और नेता जैसे लोगों ने बोला `अभी नहीं` | फिर, 2004 में, राजीव दीक्षित और दूसरे लोगों ने आर.टी.आई कमिश्नर के लिए राईट टू रिकाल की मांग की थी , तो जवाब आया-` अभी नहीं` |

आप नेता क्यों नहीं सीधे-सीधे बोल देते-` देश को बाड़ में जाने दो | हम ये तरीकों का विरोध करते हैं, जिनसे आम-नागरिकों को भ्रष्ट को बदलने या सज़ा देने का अधिकार मिले |`

कुछ व्यक्तियों ने जोर दिया है की वे राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं पर वे लोकपाल में राइट टू रिकॉल लाने की चर्चा का भी विरोध करते हैं इस जन्म में । वे यह बात पर जोर डालते हैं कि राइट टू रिकॉल ,सरपंच से शुरू होकर ऊपर की ओर जाना चाहिए | मुझे आश्चर्य है कि क्यों वे राइट टू रिकॉल लोकपाल पर नहीं लाना चाहते हैं | वे कहते है कि यह पहले गांव और फिर तहसील और फिर जिला और फिर राज्य , और अंत में राष्ट्र स्तर पर लागू होना चाहिए । लेकिन फिर क्यों सबसे पहले केंद्र में लोकपाल की मांग करते हैं ?

उनका कहना कि राइट टू रिकॉल, सरपंच के स्तर पर ही होना चाहिए ना कि केन्द्र या राज्य स्तर पर, यह तो ऐसा कहना हुआ कि “एक रुपये का सिक्का लो और 100 रुपये , 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को भूल जाओ ” | और उनका यह भी कहना है कि अभी राइट टू रिकॉल केवल सरपंच पर ही होना चाहिए और राइट टू रिकॉल लोकपाल, राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री, राइट टू रिकॉल जज पर बाद में लागू होना चाहिए | `बाद में` का अर्थ अगले `जन्म में` हो सकता है |

राइट टू रिकॉल की गैर-हाजिरी में एक व्यक्ती जो पद में है , भ्रष्ट होकर सारी सीमाएं पार कर जाता है । उदाहरण के लिए , **हाल ही में, माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज, खरे ने एक स्विट्ज़रलैंड के अरबपति व्यक्ती को जिसने तीन 8 वर्षीय बच्चियों का बलात्कार किया था और इसे वीडियो टेप किया था ,उसी निर्दयी व्यक्ती को जमानत दे दी थी ।** माननीय जज खरे ने वीडियो टेप होने के बावजूद उस अरबपति को जमानत दे दी जब कि निचली अदालत ने उसे अपराधी घोषित किया था । इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज के ऊपर राइट टू रिकॉल न होने के कारण का फल है । इसी तरह यदि नागरिकों के पास लोकपाल को निकलने या बदलने का अधिकार ना हो तो वह भी माननीय सुप्रीम-कोर्ट के प्रधान जज की तरह भ्रष्ट या भाई-भतीजावाद वाला हो जाएगा , विदेशी कंपनियों का एजेंट बन जायेगा और देश को उनके हाथों बेच देगा और ईमानदार सरकारी अफसर और स्थानीय व्यापारियों को विदेशी कंपनियों के कहने पर बर्बाद कर देगा |

बहुत से कार्यकर्ता-नेता आप को बोलेंगे कि “ अभी जहर लो, दवा अगले जन्म में ले लो “ यानी वे कहते हैं कि लोकपाल बिल अभी पास होना चाहिए, बिना कोई `राईट टू रिकाल-लोकपाल` के धाराओं के और अगले जन्म में वे वायदा करते हैं कि `राईट टू रिकाल-लोकपाल`(यानी भ्रष्ट लोकपाल को आम-नागरिकों द्वारा निकालने का अधिकार) के लिए लड़ाई लड़ेंगे | मैं आप से विनती करता हूँ कि अगले जन्म तक इन्तेजार न करें |

जब अंग्रेजों ने कोशिश की थी देश को हानि करने वाला क़ानून लाने के लिए, सायमन कमीशन के द्वारा, तो बहुत से भारतीय जैसे लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया था | ये अलग बात है कि मोहनभाई गाँधी ने इसका विरोध नहीं किया था , लेकिन क्या हमको भी खामोश रहना चिहिये और बिना राईट टू रिकाल-लोकपाल और पारदर्शी शिकायत/सुझाव प्रणाली(सिस्टम) के धाराओं के

जनलोकपाल या सरकारी लोकपाल का विरोध नहीं करना कहिये ? ये आप को फैसला करना है |

अभी बात करेंगे जनलोकपाल बिल में कुछ और कमियां और उनके प्रस्तावित समाधान के बारे में

- **सबसे पहली कमी जिसकी हम बात करेंगे-** जनलोकपाल का दो पन्नों का पर्चा और पूरा 40 पन्नों का जनलोकपाल का ड्राफ्ट आपस में मेल नहीं खाता | उदहारण, दो पन्नों का पर्चा कहता है कि जनलोकपाल स्वतंत्र होगा , जबकि 40 पन्नों का ड्राफ्ट कहता है कि सुप्रीम-कोर्ट के जज लोकपाल को हटा सकते हैं | तो फिर, यदि सुप्रीम-कोर्ट के जज यदि ए.राजा जितने ईमानदार हैं , और बहुत से जज ए.राजा जैसे ही हैं, तो फिर लोकपाल सुप्रीम-कोर्ट के जजों की दया पर निर्भर रहेगा---- स्वतंत्र नहीं होगा |

  और , `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के नेता ये झूठ बोल रहे हैं कि हांगकांग में भ्रष्टाचार जनलोकपाल जैसे ओम्बुड्स-मैन या प्रशासनिक शिकायत जाँच अधिकारी के क़ानून के वजह से कम हुआ है | सच्चाई ये है कि हांगकांग में भ्रष्टाचार 1997 के बाद कम हुआ जूरी सिस्टम को मजबूत बनाने के कारण | जूरी सिस्टम में आम-नागरिकों को क्रम-रहित तरीके से चुना जाता है पूरी आबादी से और वे फैसला करते हैं जजों के बजाय | कृपया www.righttorecall.info/406.pdf देखें कि कैसे जूरी सिस्टम जनलोकपाल बिल में लागू हो सकता है | और आप इस चर्चा में बताये गए दूसरे ड्राफ्ट भी देख सकते हैं |

  जिन देशों में कोई जूरी सिस्टम नहीं है, केवल जनलोकपाल के जैसे क़ानून है, जैसे फिलीपीन, वहाँ भ्रष्टाचार असल में बढ़ गयी है और वे देश विदेशी कंपनियों के या दूसरे देशों के गुलाम बन गए हैं |

  अब यदि राईट-टू रिकाल-लोकपाल या प्रजा-अधीन-लोकपाल आता है तो ,लोकपाल देखेगा कि बहुत सारी शिकायतें बाकी रह जाती हैं, लोक-कर्मचारियों की सीमित संख्या के कारण | उसे लोग बदल नहीं दें , इसीलिए वो एक मजबूत जूरी-सिस्टम और अन्य कोर्ट के सुधार लाएगा ताकि सारी शिकायतें हल जो जायें |

- **दूसरी कमी जिसकी हम बात करेंगे**- सुप्रीम-कोर्ट के जजों पर कोई सज़ा नहीं है यदि वे जान-बूझ कर 10 सालों में भी मामलों का निपटारा नहीं करते हैं | इसका समाधान जो मैं प्रस्ताव करता हूँ है - राईट टू रिकाल-जज या भ्रष्ट जजों को आम-नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार , लेकिन वह कोर्ट के सुधारों से सम्बन्ध रखता है , ना कि लोकपाल से |

- **तीसरी कमी जिसकी हम बात करेंगे**- नागरिकों का चार्टर या अधिकार पत्र - कुछ `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के समर्थक, जनलोकपाल बिल में नागरिकों का चार्टर या अधिकार पत्र की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि इससे लायसेंस, पैन-कार्ड, राशन कार्ड , आदि बिना भ्रष्टाचार के मिलेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी भी जनलोकपाल बिल नहीं पढ़ा है, इसलिए उनको ये एहसास नहीं होता कि जैसे भ्रष्ट मंत्री कभी भी नागरिकों का चार्टर होते हुए भी कभी भी पालन नहीं करवाते, उसी तरह भ्रष्ट लोकपाल भी नागरिकों का चार्टर या अधिकार-पत्र का पालन नहीं करवाएगा |

- **चौथी कमी जिसकी हम बात करेंगे**- कई `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के समर्थक बोलते हैं कि जनलोकपाल में शिकायत और सुझाव डालने की प्रक्रिया और जांच की प्रक्रिया पारदर्शी है | लेकिन सचाई ये है कि जनलोकपाल बिल में सुझाव देने की प्रक्रिया का कोई तरीका नहीं दिया गया है | और शिकायतों के केवल सारांश ही हर महीने डाले जायेंगे लोकपाल की वेबसाइट पर | और जांच के बाद ही सारे दस्तावेज सार्वजनिक वेबसाइट पर रखने के लिए लिखा है | इन परिस्थितियों में लोकपाल बड़ी आसानी से शिकायत या सुझाव को दबा सकता है , बिना उसकी पोल जनता के सामने खुले |

क्यों शिकायत को स्कैन करने की प्रक्रिया को जनलोकपाल बिल में नहीं डाला जाता , ताकि दिए गए शिकायत या सुझाव का हरेक शब्द लाखों-करोड़ों लोग देख सकें, ये वे समर्थक नहीं बताते |

अभी, `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के सदस्यों, अन्ना जी और `इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेताओं और सरकार का राईट टू रिकाल-लोकपाल या प्रजा अधीन-लोकपाल आदि पर क्या प्रतिक्रिया या जवाब है ?

99% से ज्यादा `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के सदस्यों ने जनलोकपाल के 40 में से 2 पन्ने भी नहीं पढ़े हैं | जब मैं बिल के बारे में ज्यादा जानकारी देता हूँ, तो वे भी डर जाते हैं |

लगभग सभी `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के सदस्य जिनसे मैं मिलता हूँ कहते हैं कि पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) बहुत जरूरी है और लगभग सभी राईट टू रिकाल-लोकपाल यानी प्रजा अधीन-लोकपाल के धाराओं से भी सहमत हैं | काफी लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने अन्नाजी से बात की है पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) और राईट टू रिकाल-लोकपाल के धाराओं के बारे में और मैंने भी ये पन्ने अन्नाजी और `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के नेताओं को और सारकार की स्थायी समीति को भेजें हैं | ये `इंडिया अगेंस्ट करप्शन` के सदस्य कहते हैं कि अन्ना जी बहुत शोर मचा रहे हैं `राईट टू रिकाल` के बारे में , लेकिन वो `राईट टू रिकाल -लोकपाल , नागरिकों द्वारा` या पारदर्शी शिकायत-प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) की धाराओं को जनलोकपाल बिल में जोड़ते नहीं हैं | असलियत ये है कि यदि अन्ना राईट टू रिकाल का समर्थन करते हैं , तो उन्हें सरकार या कोई भी ये धाराएं को उनके ही द्वारा प्रस्तावित जनलोकपाल बिल में जोड़ने से नहीं रोक सकता |

और असलियत ये भी है कि यदि अन्ना राईट-टू रिकाल-लोकपाल का प्रचार करते हैं , तो मीडिया द्वारा उनके नाम का प्रचार नहीं किया जायेगा क्योंकि मीडिया को बहुराष्ट्रिय कंपनियों द्वारा पैसा मिलता है और राईट-रिकाल-लोकपाल की धाराएं उन कंपनियों के स्वार्थ के खिलाफ जाती हैं | राईट-टू रिकाल-लोकपाल आने से बहु-राष्ट्रिय कंपनियां लोगों को लूट नहीं पाएंगी | इन धाराओं को केवल जनलोकपाल बिल में जोड़ना है और जनलोकपाल बिल या सरकारी लोकपाल बिल की बाकी सारी धाराएं वैसे ही रहेंगी , लेकिन ये धाराओं को जोड़ने से देश को भ्रष्ट लोकपाल द्वारा विदेशी कंपनियों के गुलामी से बचाया जा सकेगा | और सरकार की स्थायी समिति को लिखने पर भी कोई जवाब नहीं आया है , अभी तक |

और यदि लोगों के पास इससे अच्छी धाराएं हैं देश को भ्रष्ट लोकपाल द्वारा विदेशी कंपनियों की गुलामी से बचाने के लिए, तो कृपया दीजिए, लेकिन 15-20 दिनों में ही बताएं नहीं तो देश के लोगों को बहुत नुकसान होगा |

मैं सभी कार्यकर्ताओं से विनती करता हूँ कि इस विषय पर स्थायी समिति को पत्र लिखें -

ई-मेल है- kpsingh@sansad.nic.in

पत्र का एक नमूना www.righttorecall.info/406.pdf में दिया है |

मैं सभी कार्यकर्ताओं को विनती करता हूँ कि देश हित में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बातें बताएं | आप भी ऐसे ऑडियो-विडियो अपनी-अपनी स्थानीय भाषा में बनाएँ और ये सन्देश घर-घर पहुंचाएं |

दूसरे विडियो में नकली राईट टू रिकाल समर्थक के लक्षणों के बारे में जाने | धन्यवाद |